

परिशिष्ट-"अ"
तारांकित प्रश्न क्रमांक -2392
द्वारा - माननीय विधायक श्री चंद्रशेखर देशमुख

1. निरीक्षक राजेश सातनकर (दि. 01.09.24 से 30.01.25) प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक अमित पवार द्वारा की गई है। विवेचना में सूचनाकर्ता के कथन लिए गए। ड्रीमलैंड सिटी के कॉलोनाइजर के विरुद्ध चल रहे राजस्व प्रकरण, भूमि के खसरो की जानकारी, विकास की अनुमतियाँ, भूमि के डायवर्जन के दस्तावेज प्राप्त करने हेतु एसडीएम मुलताई से पत्राचार किया गया। ड्रीमलैंड सिटी के नक्शे एवं रजिस्ट्री की जानकारियाँ प्राप्त करने हेतु उप-पंजीयक मुलताई से पत्राचार किया गया। प्रकरण की जाँच से संबंधित अपर कलेक्टर का संयुक्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति प्राप्त करने हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी मुलताई से पत्राचार किया गया। ड्रीमलैंड सिटी के स्वीकृत अभिन्यास नक्शे, कॉलोनाइजर की विकास अनुज्ञा, अभिन्यास अनुमोदन आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए उप संचालक टीएनसीपी से पत्राचार किया गया। भूमि के अनुमोदित नक्शों के अतिरिक्त अन्य नक्शे स्वीकृत करने की जानकारी के लिए उप संचालक टीएनसीपी से पुनः पत्राचार किया गया। विक्रय किए गए भूखंडों की जानकारी के लिए उप पंजीयक मुलताई से पत्राचार किया गया। प्रकरण में धारा 467, 468 एवं 471 भादवि बढ़ाई गई।

2. निरीक्षक देवकरण डेहरिया (पदस्थापना दि. 30.01.25 से 09.10.25) विवेचना के दौरान साक्षीगणों के कथन लिए गए एवं कॉलोनी में वर्तमान स्थिति में विकास कार्य के संबंध में नगर पालिका मुलताई से पत्राचार किया गया। दिनांक 22.08.25 को आरोपीगणों का पता लगाने के लिए टीम जिला यवतमाल एवं आर्वी, जिला वर्धा गई थी। टीम द्वारा दिनांक 23.08.25 को यवतमाल एवं आर्वी पहुँचकर आरोपीगणों का पता लगाया गया, परंतु आरोपीगण उपस्थित नहीं मिले। आरोपीगण वर्तमान में फरार हैं।

3. निरीक्षक नरेन्द्र सिंह परिहार (पदस्थापना दि. 10.10.25 से वर्तमान) विवेचना के दौरान आरोपीगणों का पता लगाने हेतु दिनांक 31.10.25 को पुलिस टीम नागपुर, महाराष्ट्र भेजी गई थी। दिनांक 03.12.25 को पुनः पुलिस टीम आरोपीगणों का पता लगाने हेतु अमरावती, महाराष्ट्र भेजी गई, परंतु प्रकरण के फरार आरोपियों के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। प्रकरण के फरार आरोपियों के पता लगाने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
१४ (पुलिस) विभाग, बी (1)
बदायूँ, भोपाल

AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

5

परिशिष्ट-"ब"
तारकित प्रश्न क्रमांक -2392
द्वारा - माननीय विधायक श्री चंद्रशेखर देशमुख

दिनांक 22.08.25 को आरोपीगणों का पता लगाने हेतु पुलिस टीम जिला यवतमाल व आर्वी जिला वर्धा गई थी, टीम द्वारा दिनांक 23.08.25 को यवतमाल एवं आर्वी पहुँचकर आरोपीगणों पता लगाने का प्रयास किया गया, आरोपीगण उपस्थित नहीं मिले, आरोपीगण फरार होने से उनके परिजनों को उपस्थित होने के लिए बताया गया है। दिनांक 31.10.25 को आरोपीगणों का पता लगाने हेतु टीम नागपुर महाराष्ट्र गई थी, आरोपीगण सम्भावित स्थानों पर उपस्थित नहीं मिले हैं। दिनांक 03.12.25 को टीम अमरावती एवं पूणे गई थी, टीम द्वारा आरोपीगणों का पता लगाने का प्रयास किया गया, आरोपीगण सम्भावित स्थानों पर उपस्थित नहीं मिले। प्रकरण में तीन बार पुलिस टीम महाराष्ट्र प्रदेश गई थी। आरोपियों का पता लगाने व गिरफ्तारी हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं।


अनुसूचित अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
एड (पुलिस) विभाग, बी (1)
पवाडर, भोपाल


AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL